UPPG010047372026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2,प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)
JO Code–UP 6467
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1907/2026

रोहित सरोज सुत मुन्ना सरोज आयु 25 वर्ष,
निवासी बलीपुर, थाना हथिगवां, जिला प्रतापगढ़।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–14/2025
धारा–115(2),352,351(3),109 बी.एन.एस.
थाना–हथिगवां, जिला–प्रतापगढ़।

दिनांकः–13.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **रोहित सरोज** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–14/2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 109 बी.एन.एस. थाना– हथिगवां, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे हैरान व परेशान करने के लिए झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी की कोई स्पष्ट भूमिका दर्शित नही है। कथित घटना में चोटहिल को कोई गंभीर चोट नही आयी है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है, न ही प्रस्तुत हुआ है और न ही निरस्त हुआ है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

2. इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने कहा कि जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4. अभियोगिनी मुकदमा द्वारा इस आशय की सूचना दी गयी कि प्रार्थिनी दिनांक 16.01.25 को समय करीब सुबह 7.30 बजे उलझे हुए तार को लकड़ी के खम्भे पर बांध रही थी तभी जेठ मुन्ना कुल्हाडी लेकर व इनके लड़के रोहित लाठी लेकर प्रार्थिनी को जान से मारने की नियत से गाली गुप्ता देते हुए सिर पर मारे जिससे गम्भीर चोटें आने पर वहीं लहु लुहान होकर बेहोश हो गई। घर वाले बीच बचाव हेतु दौडे तो उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से होना कहा गया है। अभियोगिनी मुकदमा को गंभीर चोट आना नही बताया गया है। अभियुक्त को दिनांक–28.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है। विचारण में समय लग सकता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत मामले में बिना गुण दोष पर विचार किये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.13 18:07:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

6. आवेदक/अभियुक्त **रोहित सरोज** का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–14/2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 109 बी.एन.एस. थाना– हथिगवां, जिला प्रतापगढ़ **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार** रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की **दो** प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि–

1. अभियुक्त आरोप विरचन हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त बयान मुल्जिम 313 हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त अनावश्यक रूप से दौरान विचारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जायेगा।
5. यदि अभियुक्त अपना वर्तमान पता बदलता हैं तो अपने नवीन पता के संबंध में संबंधित थाना/न्यायालय को सूचित करेगा।
6. अभियुक्त गवाहो को न तो डरायेगा न तो धमकायेगा ।
7. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेंगे, जमानत पर रिहा किया जाये।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/ Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक :13.07.2026

अभयराज/– स्टेनो

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
JO Code–UP 6467